न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2359 सन 2026
CNR. No.UPSP010060542026

सोनू कुमार पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम काजीपुरा, थाना रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 178/2026
धारा 118(1),109(1),115(2),
351(2),352 बी.एन.एस
थाना रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

11.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू कुमार** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मोनू पुत्र मांगेराम का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादिया रानी द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 26.05.2026 की रात्रि के 12 बजे वादिया का पुत्र सचिन कुमार व अमन कुमार अपने खेत पर पानी चला रहे थे, तभी खेत पर सोनू आया, और कहने लगा कि वह उन्हें पानी नही चलाने देगा। जब वादिया के लडको ने उससे कारण पूछा तो उसने घर पर फोन कर मांगेराम, टिंकू व सुनीता को बुला लिया, और चारो ने मिलकर वादिया के दोनो लडको को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारो से मारपीट की, जिससे अमन के सिर मे गम्भीर चोटे आयी। वादिया के पुत्र वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे, और थाने जाकर उन्हें मेडिकल के लिए सीएचसी रामपुर मनिहारान भेजा गया, जहां से अमन को जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया था। विपक्षीगण द्वारा वादिया की लडको को जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं, उसे इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई धारदार हथियार की बरामदगी नही हुई है। वादिया के पति से साथ पूर्व में खेत की बिजली व पानी की समस्य को लेकर कहासुनी हो गयी, जिसकी रंजिश के कारण प्रार्थी को उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी दिनांक 29.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया के लडके सचिन व अमन के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति

कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध मजरूब अमन कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत की माथे पर इनसाईज्ड वून्ड, सिर पर इनसाईज्ड वून्ड, सिर के पीछे बांयी ओर इनसाईज्ड वून्ड, दांयी रिंग फिंगर व इन्डेक्स फिंगर पर लेस्सरेटड वून्ड, स्केपूलर रीजन पर रेड कन्टयूजन, बांयी बाजू पर रेड कन्टयूजन की चोट आना तथा आहत की चोट सं0–1 ता 6 को जेरे निगरानी रखते हुए, एक्सरे की सलाह दिया जाना उल्लेखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत की मेडिकल लीगल आख्या में आहत की चोट सं0–1 ता 6 में कोई भी अस्थिभंग न पाये जाने के कारण आहत की उक्त चोटे साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त **सोनू कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–11.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891